



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रतिषेधकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 543] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 18, 1985/अग्रहायण 27, 1907
No. 543] NEW DELHI, WEDNESDAY, DEC 18, 1985/AGRAHAYANA 27, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1985

सा. का. नि. 90 (अ) :—केंद्रीय सरकार- विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी
निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 8 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)
की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 814 (अ) तारीख 28 अक्टूबर, 1985 को प्रतिष्ठित
करणं हुए, एक सलाहकार बोर्ड का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

अध्यक्ष

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री योगेश्वर दयाल, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय ।

सदस्य

2. माननीय न्यायमूर्ति श्री एम. एन. शंकर, सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उड़ीसा उच्च न्यायालय ।
3. माननीय न्यायमूर्ति श्री एम. एल. जैन, सेवा निवृत्त न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय ।

[फा. सं. 674/1/85-सीमा-शुल्क-8]

आर. के. तिवारी, उप-सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 1985

G.S.R. 908(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 8 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. G.S.R. 814(E), dated the 28th October, 1985, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board consisting of :

CHAIRMAN

1. Hon'ble Mr. Justice Yogeshwar Dayal, Judge of the Delhi High Court.

MEMBERS

2. Hon'ble Mr. Justice S.N. Shankar, Retired Chief Justice of the Orissa High Court.
3. Hon'ble Mr. Justice M. L. Jain, Retired Judge of the Delhi High Court.

[F. No. 674/1/85-Cus-VIII]

R. K. TEWARI, Dy. Secy.